सीआईटी वाणिज्य अनुभाग

शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 के प्रावधानों का सारांश

उपबंध 2-(ब) प्रतिबंधित स्थानः

रक्षा डाकयार्ड का कोई कार्य स्थान और अन्य दूसरे ऐसे सम्बंधित अथवा अधिग्रहीत स्थान और इनका उपयोग किसी युद्ध सामग्री के भंडारण, मरम्मत, निर्माण के उदेश्य से उपयोग किया जा रहा हो प्रतिबंधित स्थान निर्माण परिभाषित किया गया है। उपरोक्त परिभाषा के उदेयश्य से, उस स्थान का रेखा चित्र निकालने के साथ फोटोग्राफ लेना, अथवा किसी स्थान या वस्तु का किसी अन्य प्रणाली से प्रस्तुतीकरण करना शामिल होता है।

उपबंध-3 जासूसी के लिए दंड:

यदि कोई गैर कानूनी ढंग से

- अ) भवन में प्रवेश करता है, निरीक्षण करता है, पारकरता है अथवा किसी बंद स्थान के परिसर में उपस्थित होता है अथवा
- ब) कोई रेखा चित्र उस स्थान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दुश्मन के उपयोग के लिए बनाता है अथवा ,
- स) कुछ प्राप्त करता है, इक्ट्ठा करता है, रेकार्ड करता है अथवा किसी व्यक्ति को गोपनीय शासकीय कोड भेजता है तो वह रक्षा प्रतिष्ठानों के मामले में 14 साल की सजा पाने का हकदार होगा।

उपबंध-4- विदेशी एजेन्ट के साथ संचार करना:

यदि कोई व्यक्ति किसी प्रतिबंधित स्थान की कोई महत्वपूर्ण सूचना के सम्बंध में किसी विदेशी एजेन्ट के साथ संचारित करने की कोशिश करता है अथवा संचार में लगा हुआ है तो वह व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावाधान का दोषी माना जायेगा।

उपबंध-5-सूचना का गलत संचार करनाः

यदि किसी व्यक्ति के पास कोई शासकीय दस्तावेज है या उसके नियंत्रण में है और वह :-

- अ) जानबूझकर किसी व्यक्ति को संचारित करता है जो अधिकृत व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति हो।
- ब) अपने अधिकार में रखी सूचना को किसी विदेशी शक्ति के लाभ पहुंचाने के लिए उपयोग करता है।
- स) वह सूचना अपने पास रखता है जबिक उसे रखने का अधिकार नहीं है।

द) वह व्यक्ति उस सूचना की उचित देखभाल करने में असफल होता है तो वह व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी होगा।

उपबंध - 6 - वर्दी का अनिधकृत उपयोग:

यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित स्थान में प्रवेश करने के उद्देश्य से या किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश दिलाने के लिए बिना कानूनी अधिकार के वर्दी पहनता है तो वह इस अधिनियम की अंतर्गत दोषी माना जायेगा।

उपबंध-7-पुलिस बल के अधिकारियों के साथ हस्तक्षेप करना:

यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित स्थान के परिसर में किसी पुलिस अधिकारी को जो रक्षक के रूप में संतरी, निगरानी अथवा समान कार्य पर हो तो उसके कार्य में बाधा नहीं पहुंचा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस धारा के प्रावधान का उललंघन करता है तो वह व्यक्ति कैद का भागी होगा जो अधिकतम तीन वर्ष तक हो सकती है।

उपबंध-8-सूचना देने का कर्तव्य:

यह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि पुलिस अधिक्षक अथवा निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर कोई सूचना जो उसके पास किसी अपराध के सम्बंध में हो, वह नहीं देता है तो इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध है।

यदि कोई व्यक्ति सूचना देने में असफल होता है तो उसे तीन वर्ष की कैद हो सकती है अथवा जुर्माना हो सकता है या दोनो हो सकती है।

उपबंध-9- उत्तेजित करना:

कोई व्यक्ति जो उत्तेजित करने का प्रयास करता है अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत उकसाने/उत्तेजित करने का प्रयास करता है तो उसे भी वही दंड दिया जायेगा और उसके विरूध उसी ढंग से कार्रवाई की जायेगी यदि उसने ऐसा अपराध किया है।

उपबंध-10- जासूस को शरण देने के लिए दंड:

यदि कोई व्यक्ति जिसे यह ज्ञात हो अथवा उस पर विश्वास करने के लिए तर्कपूर्ण आधार हो कि वह व्यक्ति कोई अपराध करने वाला है अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करता है तो इस धारा के अधीन दोषी माना जायेगा।

उपबंध-11- सर्च वारंट:

यदि कोई प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट सूचना से संतुष्ट है कि सन्देह करने के लिए तर्कपूर्ण आधार है कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक अपराध किया गया है अथवा करने वाला है तो वह किसी पुलिस अधिकारी को किसी भी समय किसी भी परिसर में या स्थान पर बल पूर्वक प्रवेश कर जांच सर्चकरने के लिए वारंट जारी कर सकता है।

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड | MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED सिआईटी वाणिज्य अन्भाग | CIT Commercial Section

EXTRACT OF PROVISIONS OF THE OFFICIAL SECRETS ACT, 1923

SECTION 2(B); "PROHIBITED PLACE"

It is defined as the place of any work of Defence Dockyard and other so belonging or occupied and used for the purpose of building, repairing, making or storing any ammunitions of war.

For the purpose of the above definition, sketch includes any photograph or other mode of representing any place or thing.

SECTION 3: "PENALTIES FOR SPYING"

If any per unlawfully -

- a) approaches, inspects, passes over or is in the vicinity of any clear place; or
- b) make any sketches intended to be directly or indirectly useful to an enemy; or
- c) obtains, collects, records or communicates to any other person any secret official code shall be liable for imprisonment of 14 years in case of Defence Installation.

SECTION 4: "COMMUNICATION WITH FOREIGN AGENTS"

If any person has been in communication with or attempted to communicate with foreign agents regarding the vital information of any "PROHIBITED PLACE" would be guilty of violating the provisions of this Act.

SECTION 5: "WRONGFUL COMMUNICATION OF INFORMATION"

If any person having in his possession or control any official document;

- a) Willfully communicates to any person, other than a person, who is authorised to communicate it.
- b) Used the information in his possession for the benefit of any foreign power.
- c) Retain in his possession when he has no power to retain it
- d) Fails to take reasonable care of it. Shall be guilty of an offence under this Act.

SECTION 6: "UNAUTHORISED USE OF UNIFORMS"

If any person for the purpose of gaining admission or of assisting any other person to gain admission to a "PROHIBITED PLACE" wears uniforms without lawful authority shall be guilty of offence under this Section.

SECTION 7: "INTERFERING WITH OFFICERS OF POLICE"

No person in the vicinity of any "PROHIBITED PLACE" shall abstract any Police Officer engaged on guard, sentry or similar duty. If any person move in the provisions of this section, shall be punishable with imprisonment, which may extend up to 3 years.

SECTION 8: "DUTY OF GIVING INFORMATION"

It shall be duty of every person to give on demand to a superintendent of Police or any other Police Officer not below the rank of Inspector, any information in his power relating to an offence under this Act.

If any person fails to give such information, shall be punishable with imprisonment to 3 years or fine or with both.

SECTION 9: "INCITEMENT"

Any person who attempts to commit or debate the commission of an offence under this Act shall be punishable with the same punishment and be liable to be proceeded against in the same manner as if he had committed such offence.

SECTION 10: "PENALTY FOR HARBOURING SPIES"

If any person whom he knows or has reasonable grounds for supposing to be person who is about to commit or who has committed offence under this Act shall be guilty of offence under this Section.

SECTION 11: "SEARCH WARRANTS"

If a presidency Magistrate, Magistrate First Class or Sub-Divisional magistrate is satisfied with the information that there is reasonable ground for suspecting that an offence under this Act has been or is about to be committed, he may grant search warrant to any Police Officer to enter at any time any premises to force to search premises or the places.